फा.सं.12/1/2018-प्रशासन भाग-1

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

92, संसद भवन,

नई दिल्ली-110001

तारीख: 25.09.2023

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में अगस्त, 2023 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को इसके साथ संसदीय कार्य मंत्रालय के अगस्त, 2023 माह के मासिक सारांश की एक प्रति अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

(पी.के. त्रिपाठी)

अवर सचिव, भारत सरकार

011 -23034746

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड़, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सभी सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
8. सचिव/अपर सचिव के निजी सचिव।

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का अगस्त, 2023 का मासिक सारांश।

1. **माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय/प्रमुख उपलब्धियां:-**

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023;
2. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023;
3. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023;
4. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023;
5. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023;
6. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023;
7. भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023;
8. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023;
9. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023

II. राज्य सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023;
2. प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023;
3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) विधेयक, 2023;
4. डाकघर विधेयक, 2023

III. लोक सभा में पारित किए गए विधेयक

1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
2. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
3. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
5. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
6. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
7. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
8. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
9. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
10. मध्यकता विधेयक, 2023
11. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
12. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
13. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

IV. राज्य सभा में पारित किए गए विधेयक

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023
2. मध्यकता विधेयक, 2023
3. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023
4. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
5. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
6. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
7. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
8. प्रेस और पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2023
9. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
10. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
11. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
12. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
13. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
14. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
15. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
16. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
17. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
18. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
19. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
20. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
21. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
22. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023
2. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023
3. खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
4. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
5. जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023
6. अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023
7. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023
8. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
9. मध्यकता विधेयक, 2023
10. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
11. भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023
12. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
13. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
14. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2023
15. अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023
16. डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023
17. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

18. भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023
19. केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023
20. एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

VI. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति की बैठक

क. मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में:

(i). 17वीं लोक सभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 260वें सत्र (मानसून सत्र-2023), जिन्हें शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, का सत्रावसान करने का निर्णय लिया; और

(ii). संसदीय कार्य मंत्री द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अनुमोदित गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों का विरोध किए जाने या संबंधित सदस्यों से विधेयक/संकल्प वापस लेने का अनुरोध करने/मनाने, ऐसा न करने पर उनका विरोध करने/समर्थन नहीं करने संबंधी मामलों पर सरकार के निर्णयों का अनुसमर्थन।

(ख) मंत्रिमंडल की संसदीय कार्य संबंधी समिति ने मंगलवार, 29 अगस्त, 2023 को हुई अपनी बैठक में संसद के अगले सत्र को बुलाने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 29 अगस्त, 2023 के नोट सं. 07/2023 पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि 17वीं लोक सभा के 13वें सत्र और राज्य सभा के 261वें सत्र को सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को बुलाया जाए और सरकारी कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन रहते हुए, सत्र शुक्रवार 22 सितंबर, 2023 को समाप्त किया जाए।

VII. प्रेस कॉन्फ्रेंस

संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, श्री प्रल्हाद जोशी ने मानसून सत्र, 2023 के समापन के बाद 11.08.2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

- **संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन**

अगस्त, 2023 माह के अंत में, लोक सभा के 751 और राज्य सभा के 614 आश्वासन लंबित थे। माह के दौरान, लोक सभा की कार्यवाही से 30 आश्वासनों को और राज्य सभा की कार्यवाही से 33 आश्वासनों को निकाला गया।

अगस्त, 2023 माह के दौरान लोक सभा में 122 (3 आंशिक) कार्यान्वयन प्रतिवेदन और राज्य सभा में 115 (1 आंशिक) कार्यान्वयन प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे गए।

- **परामर्शदात्री समितियों का कार्यकरण**

अगस्त, 2023 माह में-

क. परामर्शदात्री समितियों 10 बैठकें आयोजित की गईं।

ख. एक संसद सदस्य के नाम को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात परामर्शदात्री समिति से हटाया गया।

ग. विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में 05 संसद सदस्यों के नाम को नामित/पुनः स्थापित किया गया।

घ. सरकार की विभिन्न परामर्शदात्री समितियों/बोर्डों/परिषद/आयोग में 03 संसद सदस्यों को नामित किया गया।

उपरोक्त विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

- **लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में लोक सभा में नियम 377 और राज्य सभा में नियम 180 ए-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों की स्थिति निम्नानुसार है:-

	लोक सभा में नियम 377 के तहत उठाए गए मामले	**राज्य सभा में नियम 180-ई के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले**
दिनांक 01.08.2023 को लंबित मामले	381	091
माह के दौरान उठाए गए मामले	195	023
कुल मामले	576	114
माह के दौरान प्राप्त उत्तर	067	014
माह के अंत में लंबित मामले	**509**	**100**

- **युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना**

क. केंद्रीय विद्यालयों के लिए 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 04 अगस्त, 2023 को आयोजित किया गया था।

ख. दिल्ली के स्कूलों के लिए 56वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2023-24 का अभिविन्यास पाठ्यक्रम 11 अगस्त, 2023 को आयोजित किया गया था।

ग. केंद्रीय विद्यालय, सीएलआरआई, चेन्नई ने 28 अगस्त, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

घ. रामजस पब्लिक स्कूल, पूसा रोड, ओल्ड राजेंद्र नगर, दिल्ली ने 31 अगस्त, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

ङ. दर्शन अकादमी, दिल्ली ने 29 अगस्त, 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव के विषय पर युवा संसद की एक विशेष बैठक आयोजित की।

च. अगस्त, 2023 माह के दौरान, कुल 112 संस्थानों ने एनवाईपीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया। 27 संस्थानों ने युवा संसद की बैठक आयोजित करने के बाद एनवाईपीएस पोर्टल पर पूर्ण या आंशिक रूप से फोटो, वीडियो, रिपोर्ट, छात्रों का विवरण आदि अपलोड किया है।

- **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**

अगस्त, 2023 माह के दौरान नेवा के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियां की गईं:

I. 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की बैठक-

सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में 17 अगस्त 2023 को उत्तराखंड विधानसभा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जांच के लिए सीपीएमयू की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड विधानसभा के अधिकारियों समेत सीपीएमयू के सदस्यों ने हिस्सा लिया।

II. सीपीएमयू नेवा के अधिकारियों द्वारा दौरा

क. सीपीएमयू नेवा के दो अधिकारियों ने 7 से 11 अगस्त 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश विधान सभा और विधान परिषद का दौरा किया ताकि उन्हें नेवा के माध्यम से उनने लाइव सत्र के दौरान सहायता प्रदान की जा सके।

ख. सीपीएमयू नेवा के 2 अधिकारियों ने 25 से 29 अगस्त तक हरियाणा विधान सभा का दौरा किया, ताकि उनके अगस्त, 2023 के सत्र के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान की जा सके।

III. आंतरिक लेखा परीक्षा विंग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेवा की लेखा परीक्षा -

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार की आंतरिक लेखा परीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने अंतिम किस्त जारी करने से पहले उत्तर प्रदेश विधान सभा में परियोजना की वित्तीय लेखा परीक्षा की। 21-25 अगस्त 2023 तक परियोजना की लेखा परीक्षा करने के लिए सीपीएमयू नेवा के 2 सदस्य भी आईएडब्ल्यू के साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा गए।

IV. गोवा विधान सभा के अधिकारियों द्वारा सीपीएमयू नेवा दिल्ली का दौरा-

गोवा विधान सभा के अधिकारियों ने गोवा विधान सभा में नेवा कार्यान्वयन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई, दिल्ली का दौरा किया। सीपीएमयू टीम ने नेवा एप्लिकेशन सूट का प्रदर्शन किया। एपीआई के माध्यम से डेटा एकीकरण पर भी चर्चा हुई।

V. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित कार्यशाला-

क. सीपीएमयू नेवा टीम ने 23 अगस्त 2023 को बिहार विधान परिषद के लिए समिति मॉड्यूल के प्रदर्शन हेतु आभासी सम्मेलन सत्र का आयोजन किया।

ख. सीपीएमयू नेवा टीम ने 24 अगस्त 2023 को मेघालय विधान सभा के लिए विधेयक मॉड्यूल के प्रदर्शन हेतु आभासी सम्मेलन सत्र का आयोजन किया।

ग. सीपीएमयू टीम ने 29 अगस्त 2023 को मेघालय विधानसभा के साथ इसके आगामी शीतकालीन सत्र 2023 के लिए रिपोर्टर मॉड्यूल का प्रदर्शन करने हेतु एक आभासी सम्मेलन का आयोजन किया।

VI. नेवा कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विधान सभाओं को प्रदान की गई सहायता -

सीपीएमयू टीम ने गुजरात विधान सभा को नेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव होने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया।

2. लंबे समय तक अंतर-मंत्रालयी परामर्श के कारण रुके हुए महत्वपूर्ण नीतिगत मामले

-शून्य-

3. तीन महीने से अधिक समय से लंबित 'अभियोजन हेतु स्वीकृति' के मामलों की संख्या

-शून्य-

4. उन मामलों का विवरण जिनमें कार्य निष्पादन नियमों या सरकार की स्थापित नीति से विचलन शामिल रहा।

-शून्य-

5. जारी स्वच्छता अभियान की स्थिति (विशेष अभियान के तहत प्रगति)

गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

6. स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण की स्थिति

इस मंत्रालय के तत्वावधान में कोई स्वायत्त निकाय नहीं है।

7. शासन और विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित टोल और अनुप्रयोगों के उपयोग हेतु उठाए गए विशिष्ट कदमों की जानकारी

- लागू नहीं-

8. स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित मंत्रालय/विभाग में वरिष्ठ स्तर की नियुक्तियों की रिक्ति स्थिति

वर्तमान में मंत्रालय में वरिष्ठ स्तर के सभी पद भरे हुए हैं।

9. उन मामलों की सूची जिनमें एसीसी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है

-शून्य-

10. माह के दौरान स्वीकृत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों का विवरण और मंत्रालय/विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों की स्थिति।

-शून्य-

अनुबंध– I

अगस्त, 2023 माह में आयोजित परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, दिनांक और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/टिप्पणी
1.	बुधवार, 2 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 9:00 बजे	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	"75 @ 75 रामसर स्थल"	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
2.	गुरुवार, 3 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 9:00 बजे	शिक्षा	"एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा"	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली
3.	गुरुवार, 3 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 9:00 बजे	मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	पशुधन बीमा	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
4.	शनिवार, 5 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 11:00 बजे	विदेश	भारत-अमेरिका संबंध	जवाहरलाल नेहरू भवन (सम्मेलन कक्ष संख्या 1) गेट संख्या 1, 'सी' विंग 26-डी जनपथ, नई दिल्ली।
5.	सोमवार, 7 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 10:00 बजे	जल शक्ति	"ड्रिप II और III का कार्यान्वयन और बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के कार्यान्वयन के बाद भारत में बांध सुरक्षा प्रतिमान पर चर्चा"	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
6.	सोमवार, 7 अगस्त 2023, अपराह्न 5:00 बजे	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	एफसीआई और सीडब्ल्यूसी के गोदामों का उन्नयन	सम्मेलन कक्ष संख्या '505' (5वीं मंजिल), वाणिज्य भवन, नई दिल्ली
7.	गुरुवार, 10 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 9:30 बजे	जनजातीय कार्य	"प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, एनएसटीएफडीसी योजनाएं और जनजातीय समुदायों के कल्याण के लिए एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका"।	समिति कक्ष "ग", संसदीय सौध, नई दिल्ली
8.	गुरुवार, 10 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 9:00 बजे	श्रम एवं रोजगार	"वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) की कार्यप्रणाली"	समिति कक्ष "घ", संसदीय सौध, नई दिल्ली

9.	शनिवार, 12 अगस्त 2023, अपराह्न 2:30 बजे	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	"प्रोजेक्ट डॉल्फिन"	"भुवनेश्वर, ओडिशा"
10.	रविवार, 13 अगस्त 2023 पूर्वाह्न 11:30 बजे	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	(i) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) से संबंधित समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) का कामकाज। (ii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (एसजे एंड ई) से संबंधित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) की कार्यप्रणाली।	कम्पोजिट रीजनल सेंटर (सीआरसी), भिक्षुक गृह परिसर, ओधव जीआईडीसी, अहमदाबाद, गुजरात।

उन सांसदों का विवरण जिनके नाम उनकी मृत्यु/इस्तीफे/सेवानिवृत्ति के कारण विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से अगस्त, 2023 के दौरान हटाए गए

क्र.सं.	**संसद सदस्य का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमें मनोनीत थे**	**कारण**
1.	श्री विनय दीनू तेंदुलकर, सांसद (राज्य सभा)	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	**28.07.2023 को सेवानिवृत्त** (पत्र दिनांक 3.8.2023 को जारी किया गया)

अगस्त, 2023 माह में परामर्शदात्री समितियों पर संसद सदस्य (सदस्यों) का नामांकन/पुनर्स्थापन:-

क्र.सं.	**संसद सदस्य/सदन का नाम**	**परामर्शदात्री समिति का नाम जिसमेंउन्हें नामांकित/पुनःस्थापित किया गया है**	**टिप्पणी**
1.	श्री आर. गिरिराजन/ राज्य सभा	विधि एवं न्याय मंत्रालय	7.8.2023 को नामित
2.	श्री एस. कल्याणसुन्दरम/ राज्य सभा	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	7.8.2023 को नामित
3.	श्री के. आर. एन. राजेश कुमार/ राज्य सभा	रक्षा मंत्रालय	7.8.2023 को नामित
4.	श्री सुशील कुमार रिंकू/लोक सभा	विधि एवं न्याय मंत्रालय	7.8.2023 को नामित
5.	श्री राहुल गांधी/लोक सभा	विदेश मंत्रालय	18.8.2023 को सदस्यता बहाल

उन सांसदों की सूची जिन्हें भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि में अगस्त, 2023 के दौरान नामित किया गया

क्र.सं.	**समितियों/बोर्डों/परिषदों/आयोगों आदि का नाम**	**संसद के मनोनीत सदस्यों के नाम**		**नामांकन की तिथि**
		लोक सभा	**राज्य सभा**	
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के 'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' की धारा 29के संदर्भ में केंद्रीय निगरानी समिति	श्री सदाशिव किसान लोखंडे श्री भोला सिंह	श्री मिथलेश कुमार	30.8.2023